## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
## राजस्व वाद पत्र संख्या :—2015/00008

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

**बनाम**

प्रकाशदेवी पत्नी धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी सुरावाली तहः पीलीबंगा हाल चक 2 एमजीडब्ल्युएम खाजूवाला

..........प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1 पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

2 श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

### वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

**—:निर्णयः दिनांकः— 31.10.2022**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/20 के किला नं0 1 ता 14 में कुल तादादी 14.00 बीघा रकबा में खातेदार प्रकाशदेवी पत्नी धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी सुरावाली तहः पीलीबंगा हाल चक 2 एमजीडब्ल्युएम खाजूवाला द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थना—पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी की ओर अधिवक्ता पुरुषोतम सारस्वत प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार उक्त भूमि प्रतिवादी की जरिये बैयनामा खरीदशुदा है एवं खातेदार है। प्रतिवादी ढ़ाणी बनाकर मय पशुधन आवास कर रही है। प्रतिवादिया अनपढ़ महिला है जिसने उचित प्रतिफल देकर उक्त भूमि खरीद की थी तब से अब तक उसी स्वरूप में है। प्रतिवादिया ने कोई खनन कार्य नहीं करवाया है। पूर्व खातेदार ने सिंचाई डिग्गी का निर्माण किया था, जिसके कारण भूमि ऊबड़ खाबड़ हो गई थी। जिसका समतलीकरण प्रतिवादिया ने करवाया तो कहीं—कहीं लैसमात्र जिप्सम का बिखराव नजर आने लगा जबकि प्रतिवादिया ने कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया है जिससे की उसकी भूमि के खातेदारी अधिकारों का हनन हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादिया निरन्तर काबिज काश्त है। आज भी उक्त भूमि पर ग्वार की खेती व सरसों की बिजाई की हुई है। आस पड़ौसी ने जरिये शपथपत्र ताहिद की है तथा फोटो मौका भी संलग्न जवाब है। पटवारी हल्का ने फॉरीतौर पर अपने आंकड़े पूरे के उद्देश्य से खनन की रिपोर्ट कर दी जो कदोचित नहीं है। वादपत्र खारिज योग्य है, वादपत्र के समस्त अभिवचनों से साफ हो रहा है कि वाद नियमानुसार पेश नहीं किया गया है, जिसमें नहीं कोई सत्यापन है, न ही द्वितीय प्रति संलग्न है और न ही 80 सीपीसी का कोई ही दिया गया है। वादपत्र के नियमों का पूर्णरूप से अनदेखी की गई है। ऐसी सूरत में दावा डिक्री नहीं किया जा सकता तथा इस स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाबदावा खारिज स्वीकार के बाद हजा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/120 दिनांक 03.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर से रिपोर्ट ली गई है जिसके अनुसार चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/20 के किला नं0 1 ता 14 बीघा कमाण्ड रकबा प्रकाशदेवी पत्नी धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी सुरावाली तहसील पीलीबंगा हाल 2 एमजीडब्ल्यु तहसील खाजूवाला खातेदार रहन एमजीबी ग्रामीण बैंक दन्तौर दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी में आरएए बीकानेर अपील सं0 40/14 का स्थगन का नोट अंकित है। मु0नं0 100/20 में मौके पर किला नं0 1 खाली, 2 ता 4 में सरसों, 5 में ढ़ाणी, 6 ता 9 में सरसों, 10 खाली व 11 ता 14 में सरसों काश्त है। पटवारी ने रिपोर्ट में लिखा है कि पूर्व में उक्त रकबे अवैध जिप्सम खनन (कृषि से अकृषि) होता था। तात्कालिक पटवारी हल्का द्वारा उक्त रकबे की रिपोर्ट की गई थी।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1 आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

.......जिम्मे वादी

2 आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। वादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी की वाद खारिज फरमाया जावे।

......जिम्मे प्रतिवादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyaram
Date: 2022.11.23 14:12:25 IST
Reason: SelfAttested

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादिया द्वारा साक्ष्य/सबूत की जगह सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 5.1.15 व तहसीलदार रिपोर्ट 3.3. 2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 3.3.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। प्रतिवादी ने जवाब में स्वीकार किया है कि डिग्गी का निर्माण किया तो 'जिप्सम का बिखराव नजर आने लगा' इसके मायने ये है कि जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया आवंटी से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। आवंटी का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है उक्त रकबे की गिरदावरी तक साथ संलग्न नहीं की। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र अनुसार इस भूमि के किला नं0 1 ता 14 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

उपरोक्त विवेचन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार [illegible] कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी श्री जी तहसीलदार [illegible] (हल्का पटवारी) से साबित होता है, साथ ही वादपत्र प्रस्तुत के समय रिपोर्ट पटवारी 5.1.15 में अवैध खनन होना लिखा है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:25 IST
Reason: SelfAttested

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित होने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित करने में असफल हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में उक्त भूमि चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/20 के किला नं0 1 ता 14 की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है साथ ही खातेदार पर दो हजार रुपये की शास्ति कायम की जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:25 IST
Reason: SelfAttested